**पत्रांक ----------------------------------------------**

सेवा में,

**श्री चंद्रमोहन पाठक**

विभागीय अधिवक्ता,

जी0एस0टी0 एवं सेवाकर सलाहकार,

बी-1/64, सेक्टर-एच, अलीगंज,

लखनऊ ।

संदर्भ-वर्ष 2021 में, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स गाज़ियाबाद विभाग द्वारा सी एंड डीएस, यूनिट-28, गाजियाबाद को, जारी कारण बताओ नोटिस (**Show Cause Notices**) के क्रम में - आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, गाजियाबाद द्वारा पारित मूल आदेश संख्या. **16/COMM/ ST/GZB/22-23 DATE: 14.11.2022 BEARING DIN NO. 20220854YE0000000A322**के सम्बंध में

**विषय-C&DS, Unit-28 गाज़ियाबाद को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कमिश्नर के द्वारा पारित मूल आदेश संख्या. 16/COMM/ ST/GZB/22-23 DATE: 14.11.2022 BEARING DIN NO. 20220854YE0000000A322 जिसमें सेवा कर/ब्याज/जुर्माने के– Rs 20.2 CRORE की देयता जो - फॉरवर्ड चार्ज में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पर** (जिसमें सासनदेश के माध्यम से सी एंड डीएस द्वारा प्राप्त फंड पर सेवा कर लागू होता है) **और रिवर्स चार्ज कानून के तहत वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पर (**जहां निर्माण संबंधित सेवाएं सी एंड डीएस, यूनिट-28 द्वारा विभिन्न कार्य आदेशों-WORK ऑर्डर्स-के माध्यम से ठेकेदारों /पीआरडब्लू को सबलेट की गई थी) **देय थी, को माफ करने के सम्बंध में**

महोदय,

**(1).**कृपया गाज़ियाबाद सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कमिश्नर द्वारा पत्र संख्या द्वारा **पारित मूल आदेश संख्या. 16/COMM/ ST/GZB/22-23 DATE: 14.11.2022 BEARING DIN NO. 20220854YE0000000A322 जिसमें सेवा कर/ब्याज/जुर्माने के– Rs 20.2 CRORE को माफ किया है ,** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें.

**(2). इस मामले में** कारण बताओ नोटिस (**Show Cause Notices**) **में** **निम्नलिखित सेवा कर/ब्याज और दंड देय थे -**

**1.Service Tax** amounting to **Rs 10,16,66,406/- (Rupees Ten Crores Sixteen Lacs Sixty Six thousand and Four Hundred Six Only)** on **“Works Contract Services**” (**Approximately 10.1 crores )**

**2.Interest** on the amount mentioned above at (i), (ii) &(iii) should not be demanded and recovered from them under **Section 75** of the Finance Act, 1994 read with Section 174 of CGST Act, 2017. (**Approximately 90% of principal amount in five years i.e about Rs 9 crores )**

**3.Penalty** should not be imposed upon them under **Section 78** of the Finance Act, 1994 for non payment of Service Tax by reason of willful suppression of facts and contravention of the provisions of Section 67, 68 & 70 of the Finance Act, 1994, Rule 6 of Service Tax Rules, 1994, Rule 2A Service Tax (Determination of Value) of Rules. This, penalty is equal to service tax i.e.amount **Rs 10,16,66,406/- (Rupees Ten Crores Sixteen Lacs Sixty Six thousand and Four Hundred Six Only)** (**Approximately 10.1 crores )**

**4.Total approximate revenue of C&ds amounting to Rs 10.1+9+10.1=Rs 29.2 crores is saved**

**(3).इन मांगों को - Total approx. amounting to Rs 10.1+9+10.1=Rs 29.2 crores को माफ करते हुए माननीय आयुक्त सीजीएसटी द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी किया गया -**

**“I PASS THE FOLLOWING ORDER:**

**ORDER**

**“I DROP THE DEMAND OF SERVICE TAX ISSUED VIDE SCN NO. 30/COMMR/ST/GZB/2021 DT. 22.10.21”.**

**(4).**इस मामले में, पूर्व में जारी सभी SCN/ NOTICES से सम्बंधित ,सभी डिफेन्स रिप्लाई /दस्तावेज आदि (**Defence Reply/ Written Statement** आदि )आपके द्वारा दाखिल किये गए थे तथा दिनांक **12-10-2022**  को व्यक्तिगत रूप से न्यायिक प्राधिकारी- गाज़ियाबाद सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कमिश्नर के सामने नोटिस/ पत्र /समन के जवाब में पेश होते हुए डिफेन्स रिप्लाई / **कॉन्ट्रैक्टर्स को जारी विभिन्न WORK ORDERS/आदि भी दाखिल की गयी थी,जिसमें रिवर्स चार्ज कानून के तहत वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज/ मैनपावर सप्लाई के लिए (**जहां निर्माण संबंधित सेवाएं सी एंड डीएस, यूनिट-28 द्वारा विभिन्न कार्य आदेशों (WORK ORDERS)के माध्यम से ठेकेदारों /पीआरडब्लू को सबलेट की गई थी**) दाखिल की गयी थी,जिसे सही मानते हुए रिवर्स चार्ज लॉ आफ सर्विस टैक्स (RCM ) के तहत वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज/ कंस्ट्रक्शन सबंधी सेवाओं पर जारी नोटिस में आरोपित होने वाली सेवा कर ब्याज/जुर्माने की देयता को छोड़ दिया गया है**  जो लगभग कुल राशि रु **Rs 29.2 crores को माफ करते हुए माननीय आयुक्त सीजीएसटी द्वारा 14-11-2022 में आदेश जारी किया गया**

**(5).**उपरोक्त मुकदमे/ में आपके द्वारा गाज़ियाबाद न्यायालय में किए गए तर्क और मुख्य रूप से रिवर्स चार्ज कानून के तहत वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज/ कंस्ट्रक्शन सम्बन्धी सेवाओं/ forward charge पर दाखिल की गयी लीगल वेटिंग/Legal Vetting आदि कार्यो की प्रशंसा की जाती है,जिससे Unit28 के साथ- साथ अन्य यूनिट्स को भी इसका लाभ मिलेगा .

(6). **अतः**  **आपने सी एंड डीएस के पक्ष में 29.2 करोड़ रुपये की बचत की है और इस कार्य के लिए आपकी सराहना की जाती है**

भवदीय

(इं0 -------------------)

परियोजना प्रबंधक

पृ0 सं0 एवं दिनांक तदैव

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

मुख्य महाप्रबंधक (तृतीय) सी0 एण्ड डी0 एस0 उ0 प्र0 जल निगम लखनऊ ।

महाप्रबंधक (नि0 -1) सी0 एण्ड डी0 एस0 उ0 प्र0 जल निगम गाज़ियाबाद ।

वित्त अधिकारी सी0 एण्ड डी0 एस0 उ0 प्र0 जल निगम लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की अन्य यूनिटों को भी सूचित कराने की कृपा करें ।